# खान एवं खनजि संबंधी अध्यादेश

## प्रीलम्सि के लयि:

अध्यादेश संबंधी प्रावधान

## मेन्स के लयि:

खान और खनजि (वकिास और वनियिम) अधनियिम 1957, कोयला खान (वशिष प्रावधान) अधनियिम, 2015 में संशोधन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रमिंडल ने खनजि कानून संशोधन संबंधी अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है।

## मुख्य बदि:

- यह अध्यादेश खान और खनजि (वकिास और वनियिम) अधनियिम 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957], कोयला खान (वशिष प्रावधान) अधनियिम, 2015 [Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015] में संशोधन का प्रावधान करता है।
- इस संशोधन के माध्यम से कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लयि केंद्र सरकार ने खनन नयिमों में ढील दी है तथा कोयला खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष वदिशी नविश के रास्ते खोल दयि हैं।

## क्या है अध्यादेश का उद्देश्य?

- कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से एक ऊर्जा दक्ष बाज़ार बनाने में सहायता मलिगी, इससे प्रतस्पिर्द्धा में वृद्धहिोगी और कोयले का आयात घटाने में मदद मलिगी।
- कोल इंडयि को मज़बूत करने के लयि वर्ष 2023-24 तक कोयले के घरेलू उत्पादन को एक मलियिन टन तक बढ़ाने का प्रयास कयि जाएगा।
- इस अध्यादेश को मंज़ूरी मलिने के बाद न्यूनतम मानदंड पूरा करने वाली अन्य खनन कंपनयिों के पास भी कोयला खानों के लयि बोली लगाने का अधकिार होगा।
- यह अध्यादेश 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने जा रही खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रयि को मज़बूती प्रदान करेगा।
- इस अध्यादेश के उदारीकृत नयिमों के तहत पहली बोली जनवरी 2020 में ही लगाई जाएगी, इस दौरान कुल 40 कोयला ब्लॉक नीलामी के लयि उपलब्ध रहेंगे।
- भारत ने वर्ष 2018-19 में लगभग 1.71 करोड़ रुपए मूल्य के 235 मलियिन टन कोयले का आयात कयि था।

## वैश्वकि कंपनयिाँ शुरू कर पाएंगी कारोबार:

- कोयला खनन के क्षेत्र में वदिशी कंपनयिों को शत प्रतशित नविश की छूट देने से भारत को अपने खनजि भंडार का न केवल दोहन करने में मदद मलिगी बल्कबिहुत सी वैश्वकि कंपनयिाँ अपनी नई प्रौद्योगकिी के साथ भारत में अपना कारोबार स्थापति कर सकेंगी।
- इस अध्यादेश से वाणज्यिकि प्रयोग हेतु कोयला खानों की नीलामी के नयिम आसान करने में मदद मलिगी।

## कोयले के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण:

- भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ था।
- कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद ही 1975 में कोल इंडयि लमिटिड (Coal India Ltd.) की स्थापना एक होल्डगि कंपनी के रूप में

हुई थी।

**स्रोत- द हिंदू**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mines-and-minerals-related-ordinance